(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 130 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, मुंबई पत्तन न्यास स्थित वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेश के अनुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/57/2005-एमबीपीटी</u>

<u>आ दे श</u>

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के वर्तमान दरमान के विस्तार से संबंधित है ।

2. इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी / 57 / 2005-एमबीपीटी दिनांक 28 सितंबर 2006 के माध्यम से 31 मार्च 2009 तक की वैधता अवधि के साथ एमबीपीटी के वर्तमान दरमान को अधिसूचित किया था। वर्तमान दरमान की वैधता, इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार दिनांक 23 अक्तूबर 2009 के आदेश द्वारा 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई गई थी।

3. दिनांक 30 जनवरी 2009 के पत्र के माध्यम से एमबीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल किया था जिसे परामर्श के लिए ले लिया गया है। जब यह प्रस्ताव परामर्श के लिए लिया गया पत्तन ने दिनांक 30 अक्तूबर 2009 के पत्र के माध्यम से एक ताजा प्रस्ताव दाखिल किया और दिनांक 30 जनवरी 2009 से संबंधित प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाही को ''वापिस लिए गए'' के रू प मे ंबंद करने का अनुरोध किया। पत्तन द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार इस प्राधिकरण ने दिनांक 30 जनवरी 2009 के प्रस्ताव से संबंधित ''प्रकरण'' को आदेश सं. टीएएमपी / 6 / 2009-एमबीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 के द्वारा ''वापिस लिए गए'' के रू प में बंद कर दिया है।

4. पत्तन द्वारा दाखिल किया गया दिनांक 30 अक्तूबर 2009 का नया प्रस्ताव परामर्श के लिए लिया गया है चूंकि वर्तमान प्रशुल्क की विस्तारित वैधता मार्च 2010 को समाप्त होती है और निर्धारित सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नए प्रस्ताव की प्रक्रिया पर लगने वाले समय को स्वीकारते हुए यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 तक या एमबीपीटी तक या एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत नए प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक इनमें जो भी पहले हो विस्तारित करता है।

5. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में ग्राहय लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय वह अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष